



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, बेरीनाग (पिथौरागढ़)



फोन नं० - 05964-244117

फैक्स नं० - 05964-244622

ई-मेल - eepwdberinag@rediffmail.com

पत्रांक
सेवा में,

1094/27सी

दिनांक 02/07/24

प्रभागीय वनाधिकारी
पिथौरागढ़।

विषय : जनपद पिथौरागढ़ में माननीय मुख्यमंत्री घोषणा सं० 418/2015 के अन्तर्गत विधान सभा गंगोलीहाट में सिनलेख से बुंगली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.20 है० वनभूमि का गैर वानकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में (प्रोजेक्ट नं० FP/UK/ROAD/144566/2021)

सन्दर्भ: नोडल अधिकारी देहरादून का पत्रांक 1857/12-1 देहरादून दि० 26-02-2024

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में प्राप्त आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण कर निम्नवत प्रेषित है :-

क्र. सं०	चाही गई सूचना (प्रश्न)	अनुपालन आख्या (उत्तर)
1	प्रस्ताव में संलग्न राष्ट्रीय पार्क / वन्यजीव अभ्यारण्य से दूरी के प्रमाण पत्र में आवेदित वन क्षेत्र के समीपस्थ राष्ट्रीय पार्क / वन्यजीव अभ्यारण्य की सीमा से दूरी अंकित नहीं की गई है।	आवेदित वन क्षेत्र के समीपस्थ राष्ट्रीय पार्क / वन्यजीव अभ्यारण्य की सीमा से हवाई दूरी का प्रमाण पत्र यथास्थान ऑन लाईन अपलोड कर दिया गया है तथा हार्ड कापी 5-5 प्रतियों में प्रेषित की जा रही है।
2	प्रस्ताव में एन०पी०वी० की धनराशि का भारत सरकार द्वारा निर्धारित नई प्रचलित दरों के अनुसार ऑकलन कर प्रस्ताव में संलग्न करने का कष्ट करें।	एन०पी०वी० की धनराशि का भारत सरकार द्वारा निर्धारित नई प्रचलित दरों के अनुसार ऑकलन कर एन०पी०वी० प्रपत्र अपने स्तर से अपलोड करने की कृपा करें।
3	वन अधिकार अधिनियम 2006 से सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र फार्म-1 एवं फार्म -2 दोनों संलग्न किये गये हैं, जिससे विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। उक्त के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करने का कष्ट करें।	वन अधिकार अधिनियम 2006 से सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र फार्म-1 एवं फार्म -2 में संशोधन कर यथास्थान अपलोड कर दिया गया है। हार्ड कापी 5-5 प्रतियों में प्रेषित की जा रही है।
4	भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र सं० एफ०सी० - 11/43/2021 - एफ०सी० दि० 16-01-2023 में निम्न बिन्दुओं का उल्लेख किया गया है।	मान्य है।
a	In respect of linear projects, the stipulated norms of 2% and 0.5 % towards the cost of wildlife management plan and soil and moisture conservation plan, as provided in the ministry's guideline dated 08-06-2022 will be proportionate to the extent of forest land involved instead of total project cost or actual cost of implementation of such plans. Whichever is more should be charged from the user agency.	मान्य है।

क्र. सं०	चाही गई सूचना (प्रश्न)	अनुपालन आख्या (उत्तर)
b	The provisions of wildlife management plan of soil moisture conservation Plan shall be approved by the competent authority in the state and accordingly, the deficit amount, if any from the money already realized from to the tune of 2% and /or 0.5% of project cost proportionate to the extent of forest land involved, shall be paid by the user agency, and the same shall be deposited in to the CAMPA account.	मान्य है।
उक्त के अतिरिक्त आपत्ति पत्र में मलवा निस्तारण स्थल के सम्बन्ध में वांछित सूचना बिन्दुवार निम्नानुसार प्रेषित है एवं भविष्य में अनुपालन हेतु अंकित किया गया।		
1	मलवा निस्तारण हेतु प्रस्तावित स्थल को मलवा डाले जाने के पश्चात् आवश्यकतानुसार समतलीयकरण कर जन उपयोगी कार्यो हेतु उपयोग में लाये जाने हेतु कार्य योजना तैयार किया जाना उचित होगा।	मान्य है।
2	मलवा निस्तारण हेतु प्रस्तावित स्थल को मलवा डाले जाने के पश्चात् क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये मलवे को इस प्रकार सुव्यवस्थित ढंग से स्थितीकरण किया जाय कि प्रस्तावित स्थल को वृक्षारोपण हेतु उपयोग में लाया जा सके।	मान्य है।
3	डम्पिंग यार्ड को पब्लिक यूटिलिटी के लिए उपयोग में लाया जायेगा।	मान्य है।
4	मलवा निस्तारण हेतु प्रस्तावित स्थल के स्लोव को बेंचेस में इस प्रकार विभाजित किया जाय कि वह Stabilized हो जाय ताकि भविष्य में उक्त स्थल में पौधा रोपण करने में सुविधा हो।	मान्य है।
5	पौधा रोपण करते समय प्रस्तावित परियोजना में नेशनल इविरोनिमटनल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (NEERI) द्वारा विकसित जैव-उर्वरक तकनीक को अपनाया जाय।	मान्य है।
6	मलवा निस्तारण स्थल को वनीकरण के पारंपरिक तरीकों को Vesicular Arbuscular Mycorrhizae (VAM) और पौधों की जड़ों के साथ साझेदारी से नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के उपयोग के साथ पूरक किया जायेगा। ये पौधों की जड़ों पर उगते हैं और पौधों को तेज गति से पानी और पोषण विशेषकर फासफोरस प्रदान करते हैं।	मान्य है।
7	प्रमुख वन संरक्षक (HOFF) महोदय द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी के साथ तालमेल रखते हुये प्रस्तावित मलवा निस्तारण स्थल को इस प्रकार उपयोग में लाया जाय कि अन्य स्थलों पर भी इस तकनीकी को मलवा निस्तारण हेतु अपनाया जा सके।	मान्य है।

क्र. सं०	चाही गई सूचना (प्रश्न)	अनुपालन आख्या (उत्तर)
8	वैकल्पिक / औचित्य - प्रयोक्ता एजेन्सी मलवा निपटान के लिए वैकल्पिक साइट (के०एम०एल० फाईल के साथ) और प्रस्तावित अतिरिक्त डम्पिंग जोन के लिए उचित औचित्य / टिप्पणियाँ देगी।	मलवा निस्तारण योजना के०एम०एल० फाईल सहित ऑन लाईन अपलोड की गयी है। मलवा निस्तारण योजना के अनुसार मलवे का सुरक्षित निस्तारण किया जायेगा।
9	प्रयोक्ता एजेन्सी प्रस्तावित सड़क की आवश्यकता का औचित्य प्रस्तुत करें।	प्रस्ताव की औचित्य एवं आवश्यकता परिवेश ऑन लाईन पोर्टल के पार्ट - 1 में अपलोड कर दी गई है। हार्ड कापी 5-5 प्रतियों में प्रेषित की जा रही है।
10	के०एम०एल० फाईल पर लाभान्वित होने के लिए प्रस्तावित गाँव के पास सभी मौजूदा सड़कों को चिन्हित किया जाय। मौजूदा सड़कों और प्रस्तावित सड़कों को अलग अलग रंग से चिन्हित किया जाय।	के०एम०एल० फाईल पर लाभान्वित होने वाले गाँव के पास मौजूदा सड़कों को चिन्हित कर अलग-अलग रंगों से चिन्हित कर के०एम०एल० फाईल ऑन लाईन अपलोड कर दी गई है।
11	बार चार्ट के अवलोकन से प्रदर्शित हो रहा है कि बार चार्ट में वनभूमि और गैर वनभूमि के लिए लगभग एक ही रंग का उपयोग किया गया है। वनभूमि और गैर - वनभूमि का प्रतिनिधित्व करने के लिए अलग-अलग रंगों का उपयोग करके बारचार्ट अपलोड किया जाय।	बार चार्ट निर्धारित रंगों के अनुसार ही तैयार किया गया है। आरक्षित वन हेतु - हरा रंग, वन पंचायत हेतु - नीला रंग, राज्य वनभूमि हेतु - पीला रंग तथा नाप भूमि हेतु - लाल रंग का प्रयोग किया गया है।
12	प्रभागीय वनाधिकारी की SIR में प्रस्ताव का विवरण शामिल करते हुये SIR संलग्न प्रारूप में तैयार कर परिवेश पोर्टल पर अपलोड करते हुये प्रस्ताव में संलग्न करने का कष्ट करें।	SIR में प्रस्ताव का विवरण शामिल करते हुये SIR अपने स्तर से अपलोड करने की कृपा करें।
13	प्रस्तावक विभाग को एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वन भूमि पर गन्दगी नहीं फैकी जायेगी।	शपथ पत्र यथास्थान अपलोड कर दिया गया है। हार्डकापी पाँच-पाँच प्रतियों में प्रेषित की जा रही है।
14	भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इन्दिरा पर्यावरण भवन जोरबाग रोड़ नई दिल्ली के पत्र सं० FC-11/118/2021-FC दि० 25.01.2024 द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों को परिवेश पोर्टल 2.0 में FCA, 2023 Guideline के अनुसार संशोधित कर ऑन लाईन अपलोड कर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।	भारत सरकार द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुसार प्रस्ताव अपलोड कर दिया गया है।

कृपया प्रस्ताव में अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

भवदीय

अधिशारी अभियन्ता

अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि० बेरीनाग